

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 1864

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान वस्तु विधेयक, 2025 के उद्देश्य

1864. श्री सतीश कुमार गौतम:

श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री शंकर लालवानी:
डॉ. लता वानखेड़े:
श्री प्रवीण पटेल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विमान वस्तु विधेयक, 2025 में हितों के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) उक्त विधेयक के प्रावधानों के कारण भारतीय विमानन कम्पनियों के लिए विमान पट्टे की लागत में कितनी अनुमानित कमी होगी;
- (ग) देश में पट्टे पर लिए गए और प्रचालनरत विमानों की अनुमानित संख्या कितनी है; और
- (घ) क्या उक्त विधेयक का देश में हवाई टिकटों के मूल्य निर्धारण की प्रणाली पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क): भारत ने 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षरित मोबाइल उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय हित संबंधी कन्वेंशन और विमान उपकरणों से संबंधित विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय हित संबंधी कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को स्वीकार किया था। उक्त कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए, 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025' संसद द्वारा पारित किया गया था और उसके बाद इसे 16 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस कानून के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) भारत के सीटीसी अनुपालन सूचकांक स्कोर में सुधार करना और वैश्विक एयरक्राफ्ट लीजिंग और वित्तपोषण बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना।

(ii) प्राथमिक विधान के माध्यम से कानूनी निश्चितता प्रदान करना, जिससे जोखिम प्रीमियम कम हो, विमानों के वित्तपोषण/पट्टे के लिए ब्याज दरें और पट्टा किराया कम हो।

(iii) लेनदारों और पट्टादाताओं के लिए बेहतर अनुबंध प्रवर्तनीयता और पुनर्ग्रहण निश्चितता सुनिश्चित करना, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी होगी और जीआईएफटी सिटी जैसे घरेलू पट्टा केंद्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(iv) भारतीय विमानन कम्पनियों के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण और विमान पट्टे पर देने वाले बाजारों को सुगम बनाना, जिससे वे अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार कर सकें और अपने बेड़ों का आधुनिकीकरण कर सकें।

(ख) : एयरलाइनों ने सूचित किया है कि इस कानून के लागू होने से विमान पट्टे की लागत में 8% से 10% तक की कमी आने की संभावना है।

(ग) : भारत में लीज पर लिए गए विमानों की अनुमानित संख्या 870 है, जिनमें से 750 अनुसूचित परिचालनों में और 120 गैर-अनुसूचित परिचालनों में लगाए गए हैं।

(घ) : बेड़े में वृद्धि, एयरलाइन नेटवर्क के विस्तार और वित्तपोषण/लीजिंग लागत में कमी से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने और यात्रियों तथा कार्गो के लिए हवाई किराए के कम होने की उम्मीद है।
